न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

(रे०हन्यू आर्डरशीट)

प्रकरण क्रमांक 7/अ-59/2021-22

1	3	3
6/9/2022	1- प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत।	

2- यह प्रकरण आवेदक कम्पनी ई0एम0आई0एल0 माइन्स एण्ड मिनेरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड, कोलकाता की ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक ईएमएमआरएल/बंधा/शा0/2021/44 दिनांक 10.12.2021 पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (आगे संक्षेप में संहिता कहा जाएगा) की धारा 237 की उपधारा (3) व (4) के तहत कार्यवाही हेतु इस न्यायालय में संस्थित किया गया है। आवेदन पत्र में यह दर्शाया गया है कि भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के आदेश क्रमांक NA-104/5/2020-NA दिनांक 3.3.2021 द्वारा बंधा कोल ब्लाक का आबंटन आवेदक कम्पनी को किया गया है । उक्त कोल ब्लाक का कुल भौगोलिक रकबा 1850.940 हे0 है जो कि सिंगरौली जिले के सरई तहसील के ग्राम तेन्दुहा, पिड़रवाह, देवरी, बंधा एवं पचौर कुल 5 ग्रामों में स्थित है। इस कोल ब्लाक अन्तर्गत ग्राम बंधा, तहसील सरई में स्थित निम्नांकित तालिका में वर्णित शासकीय भूमियां जो कोल ब्लाक के अन्दर स्थित हैं, विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त आरक्षित किया जाकर निस्तार पत्रक में शामिल है:-

तालिका

क्र0	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	प्रभावित रकबा	सार्वजनिक निस्तार प्रयोजन
1	310	22.5900	19.9267	चारागाह
2	380	6.6300	6.6300	चारागाह
3	365	0.9600	0.9600	जवाहर बाग
4	376	0.3400	0.3400	जवाहर बाग
5	379	0.6300	0.6300	घास हेतु
6	479	0.6100	0.6100	घास हेतु
7	481	1.4100	1.4100	घास हेतु
8	1305	11.1800	11.1800	घास हेतु
9	942	0.8100	0.8100	घास हेतु
10	471	0.6400	0.6400	घास हेतु
11	472	0.7200	0.7200	घास हेतु
12	480	0.1100	0.1100	घास हेतु
13	475	0.0700	0.0700	मेड़
14	364	0.3900	0.3900	पहाड़ी
15	483	2.0900	2.0900	स्मशान

क्रमशः....

1	3	3

पूर्व पृष्ठ से निरंतर

16	928	1.1400	1.1400	कब्रिस्तान व स्मशान
17	936	0.8900	0.8100	कब्रिस्तान व स्मशान
18	519/1	0.0500	0.0500	कब्रिस्तान व स्मशान
19	1120	0.0800	0.0800	खाल (चमड़ा) स्थान
20	361	0.1700	0.1700	सड़क
21	377	0.1800	0.1800	सड़क
22	381	0.0200	0.0200	सड़क
23	469	0. 1700	0. 1700	सड़क
24	593	0.4100	0.4100	सड़क
25	1270	0.8900	0.8900	सड़क
26	1208	0.2200	0.2200	सड़क
27	1231	0.4800	0.4800	सड़क
28	646	0.3500	0.3500	रास्ता
29	725	0.5700	0.5700	रास्ता
30	602	0.2600	0.2600	पाठशाला
31	595	0.0900	0.0900	पाठशाला
32	603	0.1700	0.1700	जंगल चौकी
33	714	0.5100	0.5100	ग्राम पंचायत
34	546	0.2000	0.2000	तालाब
35	547	0.8900	0.8900	तालाब
36	768	0.2100	0.2100	तालाब
37	776	0.6700	0.6700	तालाब
38	541	4.0200	4.0200	सेवा भूमि
योग	38 किता	**61.8200**	**59.0767**	

आवेदन पत्र में यह लेख किया गया है कि कोयला उत्खनन हेतु उक्त भूमियों को निस्तार पत्रक से पृथक किया जाना आवश्यक है। अतएव इनकी नवैयत परिवर्तन की जाए।

3- प्रकरण पंजीकृत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, देवसर को जांच की जाकर प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित नायब तहसीलदार, तहसील सरई से जांच प्रतिवेदन लिया जाकर अपने प्रतिवेदन के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें आवेदनानुसार प्रश्नाधीन भूमियों को निस्तार पत्रक से पृथक किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्रमशः...

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र
(रेव्हन्यू आर्डरशीट)

प्रकरण क्रमांक 7/अ-59/2021-22

1	3	3
	पूर्व पृष्ठ से निरंतर 4- प्रकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैं :- (1) प्रश्नाधीन भूमियॉं आवेदक कम्पनी को भारत सरकार द्वारा आबंटित बंधा कोल ब्लाक के खनन क्षेत्र में स्थित हैं। (2) प्रकरण में संलग्न प्रतिवेदन एवं अभिलेखों के अनुसार प्रश्नाधीन भूमियों में से खसरा नंबर 310 एवं 380 संहिता की धारा 237 की उपधारा (1) के तहत वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन 'चारागाह' के निमित्त, खसरा नंबर 379, 479, 481, 1305, 942, 471(472 एवं 480 'घास-बीड़' हेतु, खसरा नंबर 483, 928, 936 एवं 519/1 स्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु, खसरा नंबर 1120 'चमड़ा निकालने के स्थान' हेतु, खसरा नंबर 361, 377, 381, 469, 593, 1270, 1208, 1231, 646 एवं 725 रास्ता व सड़क के निमित्त आरक्षित की जाकर ग्राम के निस्तार पत्रक में शामिल है। खसरा नंबर 602 एवं 595 शाला भवन हेतु, खसरा नंबर 603 जंगल चौकी हेतु, खसरा नंबर 714 ग्राम पंचायत भवन हेतु, खसरा नंबर 546, 547, 768, 776 'सिंचाई के अतिरिक्त सार्वजनिक निस्तार के उपयोग के लिए तालाब' निस्तार पत्रक में दर्ज हैं। खसरा नंबर 475 पोखर की मेड़ है जो निस्तार पत्रक में दर्ज है। (3) चूंकि प्रश्नाधीन भूमियॉं भारत सरकार द्वारा घोषित एवं आबंटित कोल ब्लाक के खनन क्षेत्र के अन्दर स्थित हैं, अतएव खनन संक्रियाएँ प्रारंभ होने के उपरान्त इन भूमियों का उपयोग वर्तमान सार्वजनिक निस्तार प्रयोजनों के लिए न तो सुरक्षा की दृष्टि से और न ही व्यावहारिक रूप से संभव होगा। (4) संवंधित ग्राम का 90 प्रतिशत भाग बंधा कोल माइन से प्रभावित है, अतएव उक्त निस्तार प्रयोजनों के लिए कोई वैकल्पिक भूमि आरक्षित किया जाना प्रासॅागिक नहीं है। (5) उक्त भूमियॉं जंगल या छोटे-बड़े झाड़ के जंगल नवैयत में दर्ज नहीं हैं। (6) प्रकरण में इश्तहार आम जारी किया गया है। प्रस्तावित नवैयत परिवर्तन के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। क्रमशः.....	

न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली

1	3	3

पूर्व पृष्ठ से निरंतर

5- उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 की उपधारा (3) एवं उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश की उपरोक्त कण्डिका 4 की उप कण्डिका (2) में वर्णित भूमियों को उनके वर्तमान प्रयोजन से मुक्त घोषित करते हुए निस्तार पत्रक से पृथक करने की आज्ञा दी जाती है। यह आदेश निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

(1) श्मसान एवं सड़क/रास्ता हेतु आरक्षित भूमियों के एवज में आवेदक कम्पनी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, देवसर तथा महाप्रवंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के समन्वय एवं मार्गदर्शन में उपयुक्त साइट का चयन करते हुए कम्पनी के व्यय पर श्मसान स्थल तथा सड़कों का निर्माण कराया जाकर सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) शासकीय संस्थाएँ जिन्हें शिफ्ट किया जाएगा, उनके लिए उपखण्ड अधिकारी तथा संवंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री पी0आई0यू0, सिंगरौली के मार्गदर्शन में समचित साइड का चयन करते हुए संवंधित संस्थाओं के भवनों का निर्माण कम्पनी के व्यय पर कराया जाकर संवंधित विभागों को हैण्ड-ओव्हर किए जावेंगे। इस प्रकार नवीन निर्मित भवनों में शिफ्ट किए जाने तक संवंधित संस्थाओं का संचालन प्रभावित नहीं किया जाएगा।

6- आदेश पारित एवं घोषित किया गया। तहसीलदार, तहसील सरई उक्तानुसार समस्त अभिलेखीय प्रविष्टियों की तब्दीलात दुरूस्त कराते हुए संशोधित अभिलेखों की प्रतियों सहित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

7- आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी, देवसर तथा तहसीलदार, तहसील सरई को भेजी जावे। आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा को भी पृष्ठांकित की जावे। प्रकरण दायरे से कम किया जावे। तहसीलदार, तहसील सरई से पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण संचित अभिलेखागार किया जावे।

(राजीव रंजन मीना)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

क्रमशः

पृष्ठांकन क्रमांक 179/4/अभिलेख पासबुक/22-23 सिंगरौली, दिनांक 6 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपिः-

1. **उपखण्ड अधिकारी, देवसर।**
2. तहसीलदार, तहसील सरई।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Reader